

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान हनुमान बनाम जगदीश

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 53/2016

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/3/25	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा, अप्रार्थी संख्या 15/2 से 15/5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी व अप्रार्थी संख्या 21/1 लगायत 21/6 की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह चौहान हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कंवर का बास, पटवार हल्का दुर्जनियावास भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 187/266 रकबा 52.07 बीघा, खसरा नम्बर 19 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 110 रकबा 6.03 बीघा, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 43 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 102 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.12 बीघा, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 20 व 22 लगायत 26 की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 21/1 लगायत 21/6 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश किया गया।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया।</p>	


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

2713125

अधिवक्ता उभयपक्ष की जवाब/बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम कंवर का बास, पटवार हल्का दुर्जनियावास भूअ.नि. क्षेत्र कालवाड़, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 187/266 रकबा 52.07 बीघा, खसरा नम्बर 19 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 110 रकबा 6.03 बीघा, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 43 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 102 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.12 बीघा, पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ़तर हो।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम